

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक स्प-16-44/2004/2/34

भोपाल, दिनांक 7.5.04

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
म.प्र. भोपाल ।
2. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
म.प्र. ।
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
म.प्र. ।

विषय:- निविदा पत्रों का प्रदाय एवं निविदा प्रस्तुति की प्रक्रिया में सुधार ।

विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु विभागीय कार्यपालन यंत्रियों द्वारा आमंत्रित निविदाओं के संबंध में स्थानीय ठेकेदारों द्वारा आपस में समझौता कर मिल जुल कर निविदाएं डाले जाने तथा अन्य इच्छुक ठेकेदारों को निविदा डाले जाने से रोकने की शिकायतें अक्सर प्राप्त होती है । ऐसी परिस्थिति में, पर्याप्त स्पर्धा के अभाव में अधिक दर की निविदा प्राप्त होने तथा/अथवा निविदा स्वीकृति उपरांत कार्य संपादन में समस्या निर्मित होने की संभावना बनती है । अतः रुपये 2.00 लाख से अधिक लागत की प्रतिशत तथा आयटम दर निविदाओं के खुले आमंत्रण एवं प्राप्ति में निम्नानुसार संशोधित प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ।

निविदा सूचना का इंटरनेट पर प्रचार-प्रसार

निविदा सूचनाओं का समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार की निर्देशित व्यवस्था के अतिरिक्त निविदा सूचना तथा निविदा अंतर्गत कार्यों का विवरण एवं शर्तों का प्रदर्शन विभागीय वेबसाइट पर किया जाना आवश्यक होगा ।

निविदा प्रपत्रों का प्रदाय

वर्तमान में निविदा आमंत्रक कार्यपालन यंत्री के कार्यालय से निविदा प्रपत्र प्रदाय किये जाते हैं। इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुये, अब निविदा आमंत्रक कार्यपालन यंत्री द्वारा निविदा सूचना जारी करने के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में कोरे निविदा प्रपत्र चारों परिक्षेत्रीय कार्यालयों-भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर को तथा अपने परिक्षेत्र के अन्य खंडीय कार्यालयों को उपलब्ध करा दिये जावेंगे। इच्छुक ठेकेदार उल्लेखित किसी भी कार्यालय से कोरे निविदा प्रपत्र निविदा जोड़े जाने की निर्धारित तिथि एवं समय तीन दिन पूर्व तक प्राप्त कर सकेंगे। निविदा प्रपत्र के प्रदाय हेतु आवेदक को यह बचन पत्र देना होगा कि उसने अन्य किसी कार्यालय से आवेदित निविदा प्रपत्र प्राप्त नहीं किये हैं। निविदा सूचना अनुसार निविदा प्रपत्र देने की प्राप्ति का परीक्षण संबंधित कार्यालय के प्रमुख द्वारा किया जावेगा। विभिन्न कार्यालयों से जारी निविदा प्रपत्रों की जानकारी प्राप्त करने का दायित्व आमंत्रक कार्यालय का होगा।

निविदा प्रपत्र का मूल्य निविदा प्रपत्र के मुद्रण, कोरे निविदा प्रपत्रों का विभिन्न कार्यालयों को प्रदाय तथा विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त निविदाओं का निविदा आमंत्रक कार्यालय को उपलब्ध कराने इत्यादि में औसत अनुमानित व्यय के आधार पर निर्धारित किया जावेगा।

ठेकेदारों द्वारा निविदाओं की प्रस्तुति

वर्तमान व्यवस्था में, इच्छुक ठेकेदारों को निर्धारित स्वरूप में अर्नेस्ट मनी जमा कर निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदायें निविदा आमंत्रक कार्यालय में दी जा सकती हैं। इस व्यवस्था से अतिरिक्त, इच्छुक ठेकेदार निविदा आमंत्रक कार्यालय में निविदा प्राप्त की निर्धारित तिथि एवं समय के दो दिन पूर्व तक अपनी निविदा इस प्रकार से पूर्व उल्लेखित चारों परिक्षेत्रीय कार्यालयों में से कहीं भी निर्धारित स्वरूप में अर्नेस्ट मनी (Earnest Money) के साथ जमा कर सकेगा। निविदा प्राप्ति की सूचना कार्यालय प्रमुख के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ठेकेदार को दी जावेगी।

निविदा आमंत्रक कार्यालय से अन्य कार्यालयों में प्राप्त निविदाओं की सुरक्षा तथा उन्हें आमंत्रक कार्यालय को निविदा प्राप्ति की निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व पहुंचाने का दायित्व अन्य कार्यालय के प्रमुख तथा उसके प्राधिकृत अधिकारी का होगा। यह कार्य विभागीय कर्मचारी, विशेष वाहक, अथवा स्पीड पोस्ट/मान्य कुरियर सेवा से किया जा सकता है। निविदा आमंत्रक कार्यालय अन्य कार्यालयों में प्राप्त निविदाओं को उनके कार्यालय में समय में प्राप्ति करना सुनिश्चित करेगा।

उपरोक्त संशोधित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त निविदाओं के खोले जाने की वर्तमान व्यवस्था अपरिवर्तित रहेगी। निविदा आमंत्रण सूचना में इस संशोधित प्रक्रिया का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जावे।

ये निर्देश तत्काल प्रभावशील माने जावे।

॥ जे. पी. गुप्ता ॥

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

भोपाल, दिनांक 7.5.04

पृ०क्र० स्फ-16-44/2004/2/34

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2. समस्त कमिशनर, मध्य प्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.